Cosmos An International Journal of Art & Higher Education
A Refereed Research Journal
Vol 1/No 2 / Jul-Dec 2012 ISSN: 2319-8966

दलित क्रान्ति के पुरोधा : डॉ. अम्बेडकर

[1]बबली

डॉ. अम्बेडकर और बाबू जगजीवनराम भारत में दलित क्रान्ति के पुरोधा माने जाते हैं। एशिया–अफ्रीका के देषों में सामाजिक–परिवर्तन के वे अजस्र प्रेरणा स्त्रोत कहे गए हैं।

डॉ. अम्बेडकर का धारदार लेखन उनके गहन पांडित्य की झलक प्रस्तुत करता है। उनके विचार सुस्पश्ट थे। वे करोड़ों अस्पृष्यों की मुक्ति का मार्ग प्रषस्त कर गए हैं। दुनिया भर में उनपर अध्ययन षोध जारी हैं। उनके प्रषंसकों और अनुयायियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वे यद्यपि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से अलग रहे और गांधी जी से उनकी कभी नहीं बनी और उन्हें ब्रिटिष सरकार का समर्थक तक कहा गया, फिर भी उनकी महानता कम नहीं है। उनके समकालीन बाबू जगजीवनराम षिखर दलित नेता थे। यहाँ हम डॉ. अम्बेडकर के बारे में कुछ और प्रकाष डालेंगे।

जन्म और बाल्यावस्था

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेष के महू नगर में समाज की अस्पृष्य समझी जाने वाली 'महार' जाति में हुआ था।

इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे जो चौदह वर्श तक सैनिक स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे। सेना से अवकाष प्राप्त कर लने के पष्चात् वे महाराश्ट्र के सतारा नगर में रहने लगे। जब बालक भीमराव केवल 6 वर्श के थे, तभी उनकी माता भीमाबाई का स्वर्गवास हो गया। इसलिए वे मातृसुख से वंचित रहे।

जन्म से ही अछूत होने के कारण भीमराव को बाल्यावस्था में सामाजिक उपहास तथा तिरस्कार का षिकार होना पड़ा। कक्षा में उन्हें पीछे सबसे बलग बैठाया जाता था। बैठने के लिए टाट पट्टी भी उन्हें अपने घर से ही लानी पड़ती थी। अन्य बालकों को उनका स्पर्ष न हो जाए इसलिए उन्हें हिदायत दी गई थी कि वे कक्षा प्रारम्भ होनें के कुछ देर बाद आएं और समाप्त होने के कुछ समय पूर्व ही चले जाएं। अछूत होने के कारण उन्हें षाला में पानी पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अध्यापक उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। उनके बाल काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। सहपाठियों के साथ वे न उठ–बैठ सकते थे और न उनसे मेल–जोल बढ़ा सकत थे।
इन सब बातों का बालक भीमराव पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में हिन्दू धर्म के प्रति तिरस्कार की हद तक क्षोभ की भावना उत्पन्न हो गइ। इसी समय उन्होंने निष्चय किया कि वे अछूतों को सवर्णों को दासता से मुक्ति दिलाने तथा उनके उद्धार के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देंगे। उनकी यह भीश्म–प्रतिज्ञा थी।

शिक्षा

डॉ. अम्बेडकर की हाई स्कूल तथा इंटर की शिक्षा बंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में हुई। तत्पष्चात् महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने सन् 1912 में अंग्रेजी और फारसी विशयों के साथ बी.ए. की परीक्षा उत्तीण की और बाद में वे बड़ौदा में नौकरी करने लगे। लेकिन जातीय अवमानना के कारण उन्हें विवष होकर नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी समय उनके पिता का देहान्त हो गया और वे आर्थिक संकट में पड़ गए परन्तु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। विद्यार्जन में उनकी रूचि देखकर बड़ौदा के तत्कालीन नरेष सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर अमेरिका के कोलम्बिया विष्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा। वहां से उन्होंने सन् 1915 में एम.ए. तथा सन् 1917 में अर्थषास्त्र में पीं.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका से वापस लौटने पर उन्हें बड़ौदा राज्य का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया ताकि आगे चलकर उन्हें राज्य का वित्तमंत्री बनाया जा सके। इतनी विद्वत्ता के बावजूद 'महार' होने के कारण डॉ. अम्बेडकर को अस्पृष्यता का षिकार होना पड़ा। यहां तक कि उन्हें रहने के लिए किसी होटल और होस्टल में जगह भी नहीं मिल सकी। उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहां तक कि चपरासी भी कार्यालय की फाईलें उनके हाथों में न देकर दूर से ही फेंकते थे। इस अपमान को उनका स्वाभिमानी मन सहन नहीं कर सका और उन्होंने नौकरी छोड़कर समाज में व्याप्त अस्पृष्यता के निवारण का संकल्प लिया तथा इस दिषा में कार्य प्रारम्भ कर दिया। वे पूर्ण कालिक दलित मुक्ति के काम में लग गए।

दलित वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करने के उद्देष्य से डॉ. अम्बेडकर ने सन् 1920 में 'मूक नायक' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाषन प्रारम्भ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था, दलितों एवं बहिश्कृतों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, अन्याय तथा षोशण तथा इनके निराकरण को आवष्यकता की और समाज का ध्यान आकृश्ट करने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर ने अनुभव किया कि समाज कार्य में जुट जाने के पहले उन्हें अभी और अधिक ज्ञानार्जन करने की आवष्यकता है। अतः अपनी ज्ञान पिपासा षांत करने

1 *शोध विद्यार्थी सी.एम.जे.विश्वविद्यालय, शिलांग*

के लिए वे सन् 1920 में लंदन गए जहां से उन्होंने सन् 1923 में अर्थषास्त्र में मास्टर डिग्री, डाक्टरेट तथा बेरिस्टर एट लॉ की उपाधियां प्राप्त की।

इंग्लैंड से स्वदेष वापस लौटने के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने बहिश्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देष्य दलितों, अछूतों तथा बहिश्कृतों में शिक्षा के प्रसार द्वारा उनमें नवचेतना जाग्रत करना था ताकि वे अपनी आर्थिक गरीबी तथा सामाजिक प्रवंचना से उबर सकें। दलितों में जाग्रति उत्पन्न करने के उद्देष्य से उन्होंने सन् 1927 में 'बहिश्कृत भारत' पत्रिका का प्रकाषन षुरू किया जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया। उनके द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिन्द कॉलेज तथा पीपुल एजूकेषन सोसाइटी को शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान माना जाता है। आज तो उनके नाम से एक दर्जन से ऊपर विष्वविद्यालय, उच्च षोध संस्थान हैं। अनेकों कॉलेज, स्कूल हैं अनेक प्रादेषिक–राश्ट्रीय स्तर के संगठन बने हैं।

निसंदेह उनका व्यक्तित्व बहु आयामी था। वे वर्तमान षताब्दी के एक महान चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, राजनेता, शिक्षाविद तथा न्याय षास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दलितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। अपने प्रियजनों तथा अनुयायियों में वे ''बाबा साहेब'' के नाम से लोकप्रिय रहे। संविधान की रचना करके वे भारतीय प्रजातंत्र के पितामह बन गए हैं।

वर्ण–व्यवस्था : एक अभिषाप

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होने के कारण अत्यंत व्यवहारिक, सटीक एवं तर्कसंगत था। इसलिए उनके तर्क अकाट्य तथा वैज्ञानिक विष्लेशण पर आधारित होते थे। भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित चातुर्वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण वर्ग की श्रेश्ठता के प्रति उनका विरोध केवल जाति विषेश के प्रति वैमनस्य अथवा दुर्भावना से प्रेरित न होकर ठोस सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित था। उनका मानना था कि भारत में वर्शों से चली आ रही वर्ण–व्यवस्था आदिकालीन धर्मषास्त्रों पर आधारित थी जिनमें मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के विधान को प्रधानता दी गई थी। वे सभी रचनाकार ब्राह्मण वर्ग के होने के कारण उनके द्वारा रचित विधानों में ब्राह्मणों को प्रधानता दिया जाना स्वाभाविक ही था। धर्म षास्त्रों का गहन अध्ययन करने के पष्चात् डॉ. अम्बेडकर इस निश्कर्श पर पहुंचे कि उक्त धार्मिक विधान किसी युक्ति युक्त तर्क पर आधारित न होकर केवल कतिपय निहित ब्राह्मण वर्गीय स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने मनु द्वारा प्रतिस्थापित वर्ण भेद को खुली चुनौती देते हुए मानवीय अधिकारों पर आधारित एक नये सामाजिक विधान की आवष्यकता पर बल दिया ताकि भारतीय समाज के दलित और षोशित वर्ग का उद्धार और पुनर्स्थापन हो सके।

डॉ. अम्बेडकर के मतानुसार भारतीय समाज में रूढ़िगत वर्ण–व्यवस्था ने वर्ग–भेद तथा असमानताओं को जन्म दिया था जिनके कारण समाज निरंतर पतन की ओर बढ़ता रहा। उनका दृढ़ विष्वास था कि जिस समाज में सामाजिक चेतना न हो और जो स्वयं को सामयिक परिवर्तनों के अनुरूप ढ़ालने में समर्थ न हो, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। बाबासाहेब, इंगलैंड के अपने विद्यार्जन काल में अंग्रेजी उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और भारत वापस लौटने पर उन्होंने वर्ण भेद की रूढ़ियों में जकड़े हुए भारतीय समाज की दयनीय दषा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए सामाजिक क्रांति द्वारा उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अस्पृष्यों तथा दलितों को संगठित कर उनमें स्वालम्बन और आत्मविष्वास जगाने का प्रयास किया ताकि वे स्वयं को उच्च वर्ग के षोशण और अन्याय से बचा सकें। इस उद्देष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अस्पृष्यता निवारण, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने तथा हिन्दू समाज में व्याप्त अंधविष्वास तथा रूढ़िवादी कुरीतियों के विरूद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया जिससे दलितों की मुक्ति का अभियान चलाया जा सका।

बहिश्कृतों के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर के योगदान के संदर्भ में यह उल्लेख कर देना आवष्यक है कि वे एक अध्यवसायी व्यक्ति थे। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा वर्ण–व्यवस्था के दुश्परिणामों से उत्पन्न सामाजिक असमानताओं से जूझते हुए भी वे अपना अधिकांष समय अध्ययन और लेखन कार्य में व्यतीत करते थे। उनकी विषेशता यह थी कि वे किसी समय विशय पर अपना मत व्यक्त करने के पहले उस पर पूरी तरह सोच–विचार कर लेते थे क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी विचार को जन–समर्थन प्राप्त होने के लिए उसका तर्कसंगत और सटीक होना नितांत आवष्यक है।

वर्ण भेद के विरूद्ध दलितों का आह्वान

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अस्पृष्यों तथा दलितों को अपनी परम्परागत दासता और हीनता की भावना त्यागकर समाज के अन्य वर्गों के समान स्वतन्त्रता व मानव–अधिकार हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने श्रेश्ठतम माने जाने वाले ब्राह्मण की स्वार्थयुक्त पाखंडवादी प्रवृत्तियों की भर्त्सना करते हुए ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि षूद्रों की उत्पत्ति उच्चवर्णीय ब्राह्मणों के मस्तिश्क की उपज है तथा इसका कोई तार्किक या वास्तविक आधार नहीं है। भारत में सदियों से चली आ रही वर्ण–व्यवस्था, जातिपांत, छुआछूत आदि की उत्पत्ति का विष्लेशण करते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि ये सभी सवर्णों द्वारा धर्म की आड़ में अधिकारों से वंचित रखते हुए अबाध रूप से उनको

सेवाओं का उपयोग करते रहे। अपनी सुविख्यात कृति 'हू वर दि षूद्राज' (1946) में उन्होंने यह बात स्पश्ट रूप से कही है कि अछूतों की उत्पत्ति समाज के प्रभुत्वधारी कर्मकांडी ब्राह्मणों की वैचारिक देन है जिसका कोई वास्तविक आधार या प्रमाण धर्मषास्त्रों में नहीं है। इसलिए उन्होंने इस प्रतिश्ठित कहे जाने वाले वर्ग द्वारा रचित धर्म–ग्रंथों के खोखलेपन को उजागर करने में कोई संकोच अनुभव नहीं किया। उन्होंने अनेक बार यह स्पश्ट किया कि वे ब्राह्मणों के विरूद्ध अछूतों के आंदोलन का नेतृत्व इसलिए कर रहे हैं ताकि धर्म के नाम पर व्यवहारगत सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लोकमत तैयार किया जा सके और अस्पृष्यों का मनोबल ऊंचा उठाते हुए उनमें आत्मसम्मान की भावना जाग्रत हो। उल्लेखनीय है कि बाबासाहेब ने हिन्दू संस्कृति तथा धर्म ग्रंथों का अन्वेशणात्मक अध्ययन किया तथा यह निश्कर्श निकाला कि उनमें जीवन के प्रति यथार्थवादी दृश्टिकोण का नितांत अभाव है। हिन्दू धर्मषास्त्रों ने भारत में एक ऐसे रूढ़िवादी समाज की संरचना की जिसमें 'सर्वहित सुखाय' को कोई स्थान नहीं है। हिन्दू धर्म की इन बुराईयों से क्षुब्ध होकर ही डॉ. अम्बेडकर ने सन् 1935 में धर्म–परिवर्तन का निर्णय लिया और दो दषकों तथा विभिन्न धर्मों का सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन करने के पष्चात् उन्होंने अन्ततोगत्वा 14 अक्टूबर 1956 को अपने पांच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने यही धर्म एकमात्र ऐसा पाया था जिसके अन्तर्गत मानव मात्र की स्वतन्त्रता और समानता को सर्वोपरि माना गया है।

दलितों के उद्धार तथा परम्परागत दासता से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए किये गय प्रयासों के संदर्भ में यदि डॉ. अम्बेडकर को वर्तमान समय का 'युग पुरुश' कहा जाए तो अतिषयोक्ति न होगी। वे एक विवेकषील, सहृदय, चरित्रवान, कर्मठ तथा विद्वान व्यक्ति होते हुए भी अपने सार्वजनिक जीवन में लोगों की निंदा और आलोचना का षिकार हुए। इसका एकमात्र कारण यह था कि वे एक अछूत परिवार में जन्मे थे और इसी बहिश्कृत ब्राह्मणों के वर्चस्व पर कुठाराघात हो रहा था। यहां तक कि उच्च वर्ण के उनके विरोधी नेताओं ने उन पर देषद्रोही तथा समाज–विरोधी होने का आरोप भी लगाया। इस सब के बावजूद डॉ. अम्बेडकर अपने उद्देष्य से विचलित नहीं हुए तथा अपने अंतिम समय तक बहिश्कृतों के कल्याण कार्य में जुटे रहे। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से विष्व के सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि व्यक्ति का निर्मल चरित्र, निःस्वार्थ सेवाभाव तथा आत्मविष्वास उसकी प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पीछे धकेल कर उसका मार्ग प्रषस्त करते हैं। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर के विचारों को बहुजनों का समर्थन प्राप्त न होने पर भी अन्ततः उन्हें देष के भविश्य के निर्माताओं में अग्रणीय स्थान प्राप्त हुआ तथा सामाजिक क्रान्ति के प्रतीक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई।

दलितों को जनसाधारण की भांति अधिकार दिलाने के लिए बाबासाहेब ने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। इस दिषा मे उनका पहला आंदोलन सन् 1927 में महाराश्ट्र में महाड़ ग्राम के तालाब में अछूतों को पीने का पानी भरने का अधिकार दिलाने के लिए प्रारम्भ किया गया था। अछूतों की सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यह उनका प्रथम संघर्श था। इसी प्रकार उन्होंने सन् 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेष को लेकर षांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रारम्भ किया ताकि उच्चवर्गीय कहे जाने वाले लोगों में मानव–समानता की भावना जाग्रत हो। वे चाहते थे कि समाज के लोग जातीय पूर्वाग्रह को त्यागकर अछूतों को बराबरी का दर्जा दें और उन्हें विष्वास था कि यह समस्या केवल बहुजन–समुदाय के हृदय परिवर्तनों से ही सुलझ सकती थी।

डॉ. अम्बेडकर ने षासकीय सेवाओं में दलित जातियों के लोगों को भर्ती किये जाने की जोरदार पहल की। सन् 1930 में जब वे स्टार्टे समिति के सदस्य थे, उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को सेना तथा पुलिस में भर्ती किये जाने की सिफारिष की थी ताकि उनका आर्थिक व सामाजिक उन्नति सम्भव हो सके।

दलित–आन्दोलन के संदर्भ में 20 अगस्त 1932 के दिन का विषेश महत्व है क्योंकि इस दिन तत्कालीन ब्रिटिष प्रधानमंत्री रेमजे मैक्डोनेल्ड ने प्रथम बार दलितों के लिए पथक निर्वाजन के अधिकार की घोशण की थी। इस घोशणा द्वारा दलितों को अल्पसंख्यक मान लिया गया और यहीं से उनका राजनीतिक अस्तित्व प्रारम्भ हुआ। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के निरंतर प्रयासों से दलितों को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु गांधी जी ने इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में फूल डालने की एक कुटिल राजनीतिक चाल मानते हुए इसके विरोध में यरवदा जेल में अनषन षुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 'पूना समझौते– के अन्तर्गत डॉ. अम्बेडकर ने राश्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कुछ षर्तों के साथ संयुक्त निर्वाचन के लिए सहमति दे दी। तथापि इसमें संदेह नहीं कि दलित–आन्दोलन में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

बीसवीं सदी के चौथे दषक तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एक सुविख्यात कानूनविद तथा कर्मठ राजनेता के रूप में प्रतिश्ठित हो चुके थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए सन् 1942 में उन्हें भारत में गवर्नर–जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह उस समय का सर्वाधिक महत्व का पद था। वे इस पद पर सन् 1946 तक बने रहे तथा इस अवधि में उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानूनों की रूपरेखा तैयार की। दलितों के हित संवर्धन के अनेक कार्य कि।

संविधान–निर्माण में योगदान

भारत के संविधान के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का विषेश योगदान रहा है। उनकी विद्वता, कानूनी–ज्ञान तथा दूरदर्षिता से प्रभावित होकर संविधान–निर्माण समिति ने 27 अगस्त 1947 को उन्हें भारत का संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया। उन्हीं की पहल के फलस्वरूप संविधान में यह स्पश्ट उल्लेख किया गया कि, ''सभी प्रकार अस्पृष्यता समाप्त की जाती है तथा अस्पृष्यता के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना अपराध होगा।'' उन्होंने संविधान के आमुख (च्तमंउइसम) के स्वतन्त्रता, समता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का उल्लेख कर भारतीय गणतंत्र में वास्तविक लोकतंत्रात्मक षासन पद्धति लागू की, जो निःसन्देह देष के लिए उनकी अनुपम देन है। संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देषक तत्वों के समावेष द्वारा उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को संवैधानिक मान्यता दिलाई जो लोकतंत्र की आधारषिला है। इन प्रावधानों को संविधान में समाविश्ट कर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने लोकहित और वैयक्तिक हित में टकराव की स्थिति को टालकर एक दूसरे के अनुपूरक बनाने की चेश्टा की जो उल्लेखनीय है। भारत का गत 55 वर्शों का संविधान इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या तथा अर्थान्वयन के आधार पर ही विकसित हुआ है। विधि के क्षेत्र में डॉ. अम्बेडकर के अभूतपूर्व योगदान की सराहना करते हुए अमेरिका के कोलंबिया विष्वविद्यालय ने उन्हें सन् 1952 में एल.एल.डी. की उपाधि से सम्मानित किया तथा 1953 में उस्मानिया विष्वविद्यालय ने भी उन्हें डी.लिट् की उपाधि प्रदान की।

भारत के संविधान–निर्माण में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के योगदान तथा उनके असाधारण कानूनी–ज्ञान से प्रभावित हाकर उन्हें पं. नेहरू मंत्रिमण्डल में विधिमंत्री नियुक्त किया गया। अपने चार वर्शों के मंत्रित्वकाल में उन्होंने अपनी कुषाग्र बुद्धि तथा विलक्षण सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसे अनेक कानून पारित किये जो जन–कल्याण से सम्बन्धित थे। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के प्रति सरकार की कथित उपेक्षापूर्ण नीति से क्षुब्ध होकर बाबासाहेब ने अक्टूबर 1961 को मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. अम्बेडकर ने मंत्रिमण्डल में षामिल होने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखा है कि इसके दो मुख्य कारण थे :– प्रथम यह कि उन्हें मंत्री बनाए जान का प्रस्ताव बिना किसी षर्त के किया गया था, दूसरे यह कि उनके विचार से अनुसूचित वर्गों के हितों की रक्षा सरकार से बाहर रखने के बजाय सरकार में रहकर ज्यादा अच्छी तरह से ही सकती थी। अपने त्यागपत्र के कारणों के बारे में बाबासाहेब ने कहा कि वस्तुतः वे अनुसूचित वगो के लिए संविधान में रखे गए प्रावधानों से कतई सन्तुश्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस आषा से स्वीकार कर लिया कि सरकार उन्हें प्रभावषाली ढंग से लागू करने में कुछ दृढ़ता दिखाएगी। परन्तु खेद है कि इन दलित वर्गों की दषा में कोई अंतर नहीं आया है और पूर्व को भांति वे अत्याचार, दमन और भेदभाव के षिकार बने हुए हैं, संभवतः पहले से भी कहीं अधिक।

अस्पृष्यों और दलित वर्ग के उत्थान तथा भारतीय हिन्दू समाज से छूआछूत और वर्ण भेद के अभिषाप को समाप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने कानूनी पहल भी की थी। भारत की स्वतन्त्रता के आरम्भिक चरण में जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए। उन्हें न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया था ताकि सरकार को भूमि अधिग्रहण करने तथा उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने में कठिनाई न हो। लेकिन इस कानून का वास्तविक लाभ सम्पन्न वर्ग के सवर्ण कृशकों को ही मिला तथा खेती करने वाले अनुसूचित जाति के लोग भूमि पर मालिकाना कह प्राप्त नहीं कर सके। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि कार्यपालन अधिकारी इस कानून का किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं तथा दलित भूमिधारियों के मूल अधिकारों का हनन कर उनके प्रति किस प्रकार अन्याय हो रहा है। डॉ. अम्बेडकर ने सरकार से आग्रह किया कि वह अनुसूचित जाति के कृशकों को उनकी भूमि पर केवल भूमिधारी का हक देने के बजाय उन्हें भूमि का स्वामी घोशित करें।

सन्दर्भ

1. चंचरीक, कन्हैयालाल : डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण बाङ्मय (भारत सरकार के प्रकाशन)
2. चंचरीक, कन्हैयालाल एवं सरोज प्रसाद : डॉ. अम्बेडकर – पेट्रियट, स्टेटमैन, एण्ड फिलासॅर, नई दिल्ली, एच के पब्लिषर्स (4 भाग)
3. कीर, धनजंय : अम्बेडकर–लाईफ एण्ड मिषन